नड्डा ने तमिलनाडु जहरीली शराब घटना को लेकर कांग्रेस पर उठाए सवाल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 जून।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तमिलनाडु में जहरीली शराब की घटना को लेकर सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखा। उन्होंने इस मामले में कांग्रेस की कथित चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। साथ ही आरोप लगाया कि यह त्रासदी राज्य में द्रमुक के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की सरकार और शराब माफियाओं के बीच सांठगांठ के कारण हुई है।

तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से अब तक 58 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे को लिखे पत्र में कहा कि तमिलनाडु में जहरीली शराब त्रासदी के बाद कल्लाकुरिची के करुणापुरम गांव में जलती चिताओं की भयावह तस्वीरों ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। करुणापुरम में अनुसूचित जाति की आबादी काफी अधिक है, जो तमिलनाडु में गरीबी और भेदभाव के कारण कई चुनौतियों का सामना करते हैं। इतनी बड़ी आपदा पर कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है। नड्डा ने खरगे से कहा कि वह इस मामले में तमिलनाडु की द्रमुक सरकार पर सीबीआइ जांच कराने और राज्य के मद्य निषेध एवं आबकारी मंत्री एस मुथुसामी को उनके पद से तत्काल हटाने का अनुरोध करें।

उन्होंने यह भी मांग की कि पीड़ितों के परिजनों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि को उचित तरीके से बढ़ाया जाए ताकि इन परिवारों को पर्याप्त सहयोग मिल सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज समय है कि 'न्याय' को लेकर कही गई बातों पर सही मायने में अमल किया जाए न कि इसे बस एक आकर्षक चुनावी नारे तक ही सीमित किया जाए।

> केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष खरगे को लिख पत्र।
> जहरीली शराब पीने से अब तक 58 लोगों की मौत हो चुकी है।

प्रपत्र सं. आइएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में
और
ला क्रेसिटा प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U36999HR2022PTC104108)
इसका पंजीकृत कार्यालय **R3 LG 021 एम3एम कॉर्नर वॉक सेक्टर-74, गुड़गांव, गुरुग्राम, हरियाणा-122004** में स्थित है।
...याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"हरियाणा राज्य"** से **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** में स्थानांतरित करने के लिए दिनांक **शनिवार, 01 जून, 2024** को आयोजित असाधारण साधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर **एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, एक हलफनामे के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, **बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003** को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से **चौदह 14 दिनों** के भीतर पंजीकृत डाक द्वारा भेजें और और इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को उसके ऊपर उल्लिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजें।

आवेदक के लिए और उसकी ओर से
ला क्रेसिटा प्राइवेट लिमिटेड
दिनांक: 25.06.2024 रवि शर्मा (निदेशक)
स्थान : हरियाणा डीआईएन: 07607291

प्ररूप संख्या आईएनसी–26
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में
और
युवी एस्पायरिंग प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U55109DL2017PTC324297)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **बी–272, ग्राउंड फ्लोर, सामने का हिस्सा, ग्रेटर कैलाश, पार्ट–1 दिल्ली–110048** में हैं, के मामले में
....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए **02 जनवरी 2024** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।
बी–272, ग्राउंड फ्लोर, सामने का हिस्सा, ग्रेटर कैलाश, पार्ट–1 दिल्ली–110048

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
युवी एस्पायरिंग प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
दिनांक: 24.06.2024 **गौरव बजाज** (निदेशक)
स्थान: नई दिल्ली **डीआईएन: 07971806**

प्ररूप संख्या आईएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
सूचना
केंद्रीय सरकार के समक्ष
प्रादेशिक निदेशक
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनि अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (झ)छ के खंड (क) छ के मामले मे
और
कंपोजिट क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड, (CIN U74899DL1995PTC066214) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय बी–38, पहली मंजिल, आनंद विहार, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली – 110092 स्थित है, के मामले में, **याचिकाकर्ता**

आम जनता को यह नोटिस दी जाति है कि यह कंपनी केंद्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को **"केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली"** से **"पश्चिम बंगाल राज्य"** में स्थानान्तरित करने के लिए तारीख 14 जून, 2024 को अयोजित असाधारण साधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है ।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यादी किसी व्यक्ती का हित प्रभावित होता है तो वाह व्यक्ति **या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** में शिकायत दर्ज करा सकता है या तो एक शपथपत्र जिस में उनके हित का प्रचार और उसके विरोध का कारण उलिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सुचाना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, दूसरी मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वार भेजा जा सकता है या सुपुर्द कर सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्लिखित कार्यालय पते पर भी भेजेगा: **बी–38, पहली मंजिल, आनंद विहार, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली – 110092**

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
कंपोजिट क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/– अनिल गोयनका
जगह: दिल्ली (डीआईएन: 00409887)
तारीख: 14 जून, 2024 निदेशक

ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 9, एम. पी. नगर, प्रथम मार्ग, कोंगु नगर एक्स, तिरुपुर – 641607, दूरभाष सं: 04212221144 निगमित कार्यालय : कोहिनूर स्क्वेयर, 47वां तल, एन. सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई – 400028

[परिशिष्ट – IV–ए] [नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) का प्रावधान देखें] अचल संपत्ति के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

ई–नीलामी की तिथि : 16 जुलाई 2024

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (6) एवं 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना।

सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और सह–उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है और जिसका कब्जा 12 दिसंबर 2018 को फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है। 26 फरवरी 2021 को असाइनमेंट एग्रीमेंट द्वारा, फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड ने उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ताओं को प्रदान की गई क्रेडिट सुविधा से संबंधित अपने सभी अधिकारों को मेसर्स ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल) के पक्ष में पूर्ण रूप से सौंप दिया है और स्थानांतरित कर दिया है, जो ओमकारा पीएस 22/2020–21 ट्रस्ट के ट्रस्टी की क्षमता में कार्य कर रहा है. तदनुसार, [illegible] बकाया राशि वसूलने और प्रतिभूतियों को लागू करने का हकदार है। इसलिए, अचल संपत्ति जिसका विवरण नीचे दिया गया है, उसे समय–समय पर संशोधित" [illegible] अधिनियम और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियमों के प्रावधानों के तहत दिए गए अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेचा जाएगा, "जैसा है जहां है", "जैसा है", और "जो कुछ भी है" और "बिना सहारा के आधार पर" 16 जुलाई, 2024 को दोपहर 1.00 बजे निर्धारित ई–नीलामी के माध्यम से (बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय 15 जुलाई, 2024 को शाम 4.00 बजे से पहले है), संबंधित उधारकर्ता(ओं) और सह–उधारकर्ताओं(ओं) से सुरक्षित लेनदार के रूप में ओएआरपीएल को देय संबंधित कॉलम में नीचे दिखाई गई राशि की वसूली के लिए। संबंधित संपत्ति के लिए आरक्षित मूल्य और बयाना राशि नीचे संबंधित कॉलम में उल्लिखित की गई है। ऋणकर्ता(ओं) और सह–ऋणकर्ता(ओं) का विवरण, अचल सम्पत्ति का विवरण और ज्ञात भार (यदि कोई हो) निम्नानुसार है: –

ऋणकर्ता(ओं) तथा सह–ऋणकर्ता(ओं) के नाम	मांग सूचनाओं की तिथि एवं राशि	अचल संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य	धरोहर
1. मैसर्स कुंदन मल रूप चंद ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड (ऋणकर्ता) सह–ऋणकर्तागण 2. श्री करण सिंह सोनी 3. श्रीमती विमला देवी 4. श्रीमती अंजना सोनी 5. श्री रूप चंद सोनी	07.12.2017 को निर्गत सूचनायें ऋणकर्ता और सह–ऋणकर्ता(ओं) को रु. 5,39,93,344/– (रुपये पांच करोड़ उनतालिस लाख तिरानवे हजार तीन सौ चौवालीस मात्र) का भविष्य के ब्याज और वास्तविक भुगतान की तिथि तक के व्ययों सहित भुगतान करने के लिए कहा गया है।	यूनिट नं. 64 के समस्त वह भाग तथा अंश, जो यूनिवर्सल ट्रेड टावर, सेक्टर 49, सोहना रोड, गुड़गांव में स्थित है, जिसका अति क्षेत्रफल 5200 वर्ग फुट है।	रु. 3,92,60,000/– (रुपये तीन करोड़ बयानबे लाख साठ हजार मात्र)	ईएमडी – रु. 39,26,000/– (रुपये उनतालिस लाख छब्बीस हजार मात्र)

निरीक्षण तिथि एवं समय : दिनांक : 12.07.2024 समय : दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक

न्यूनतम बोली वृद्धि राशि : – रु. 1,00,000/– (रुपये एक लाख मात्र)

नीलामी की शर्तें और नियम: बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए कृपया प्रतिभूत ऋणदाता (ओएआरपीएल) की वेबसाइट अर्थात **https://omkaraarc.com/auction.php** या सेवा प्रदाता की वेबसाइट अर्थात् **https://www.bankeauctions.com** पर दिए गए लिंक को देखें। वैधानिक हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के साथ नियम 8(6) के तहत बिक्री के लिए वैधानिक नोटिस। यह नोटिस सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) और वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के साथ नियम 8(6) के तहत उपरोक्त ऋण खाते के उधारकर्ता(ओं) और सह–उधारकर्ताओं को 15 (पंद्रह) दिनों का एक अनिवार्य नोटिस भी है, जिसमें उन्हें ऋण खाते में ऋण के बारे में सूचित किया जाता है। उपरोक्त तिथि और समय पर ई–नीलामी के माध्यम से नीलामी/बिक्री की जाएगी, साथ ही उन्हें सलाह दी जाएगी कि यदि वे चाहें तो उपरोक्त उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान करके लागत और व्यय के साथ परिसंपत्तियों को छुड़ा सकते हैं। भुगतान में चूक के मामले में, प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता के विवेक पर संपत्ति को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (5) के तहत निर्धारित ई–नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा।

हस्ता/–
दिनांक : 25–06–2024 प्राधिकृत अधिकारी, ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
स्थान : दिल्ली, एनसीआर (ओमकारा पीएस 22/2020–21 ट्रस्ट के एक ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता के अंतर्गत कार्यरत)
ईमेल आईडी : ankur.rastogi@omkaraarc.com

यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057
कॉर्पोरेट कार्यालय : सेंट्रम हाउस, विद्यानगरी मार्ग,
कलीना, सांताक्रुज (पू.), मुंबई - 400 098

मांग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के प्रावधानों के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ("बैंक") के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत तथा नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत, मांग सूचना(नायें) निर्गत की हैं, जिनमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) को संबंधित सूचना(ओं) में उल्लिखित राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया है। चूंकि डाकीय टिप्पणियों के अनुसार कोयी सूचना (कुछ सूचनायें) सूचना–प्राप्तकर्ताओं द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकी हैं, अतएव उक्त सूचना(नायें) सूचना वितरण–सेवा के वैकल्पिक माध्यम से समाचार–पत्रों में इनके प्रकाशन के माध्यम से उधारकर्ता(ओं) के ध्यान में लायी जा रही हैं।

क्र.सं.	ऋण खाता विवरण	प्रतिभूत परिसंपत्तियां
1.	उधारकर्ता(ओं) के नाम : 1) वर्मा हॉस्पिटैलिटीज प्राइवेट लिमिटेड (उधारकर्ता) 2) विजय पाल वर्मा (सह–उधारकर्ता तथा बंधककर्ता) 3) अंजू रानी वर्मा (सह–उधारकर्ता तथा बंधककर्ता) 4) शांति देवी वर्मा (सह–उधारकर्ता तथा बंधककर्ता) **स्वीकृति तिथि :** 24/11/2022, **ऋण खाता सं.:–** USFBDELLOAN000005005874, **ऋण राशि :** रु. 1,02,21,475/–, **एनपीए तिथि :** 09/04/2024 **मांग सूचना तिथि :** 21/05/2024 (22/05/2024 को प्रेषित), **मांग सूचना राशि :** रु. 1,04,70,086.00 (18/05/2024 के अनुसार) और ब्याज एवं अन्य शुल्क।	खसरा सं. 523 ए आवासीय भूखंड के भाग के रूप में विद्यमान भूखंड के समस्त वह भाग तथा अंश जो अमीनगर उर्फ भुबारल, मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– सीमायें (बंधक प्रलेख के अनुसार) : पूर्व– 56 फुट 9 इंच शांति देवी की भूमि के समीप, पश्चिम– 56 फुट 9 इंच सामान्य मार्ग दिल्ली के समीप, उत्तर– 37 फुट 11 इंच अन्य भूमि के समीप दक्षिण– 37 फुट 11 इंच अन्य भूमि के समीप
2.	उधारकर्ता(ओं) के नाम : 1) सचिन कुमार (उधारकर्ता) 2) सविता (सह–उधारकर्ता) 3) संजय सिंह (सह–उधारकर्ता तथा बंधककर्ता) 4) शांति देवी वर्मा (सह–उधारकर्ता तथा बंधककर्ता) **स्वीकृति तिथि :** 26/02/2023 तथा 10/03/2023 **ऋण खाता सं.:–** USFBDELLOAN000005008169 – USFBDELLOAN000005008244, **ऋण राशि :** रु. 15,00,000/– एवं रु. 1,00,000/– **एनपीए तिथि :** 04/05/2024 **मांग सूचना तिथि :** 16/05/2024 (18/05/2024 को प्रेषित), **मांग सूचना राशि :** रु. 16,61,154.00 (16/05/2024 के अनुसार) और ब्याज एवं अन्य शुल्क।	भूमि के मकान के रूप में विद्यमरल अचल संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश, मापन 232 वर्ग गज या 193.97 वर्ग मीटर है, जिसमें खसरा संख्या 688 समाविष्ट है, जो उत्तर प्रदेश के तहसील और जिला बागपत के बली गांव में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : सीमायें (बंधक प्रलेख के अनुसार) : पूर्व– 58'/प्रकाश सिंह का घर पश्चिम– 58'/12 फुट चौड़ी सड़क उत्तर– 63'8"/अवनीश की दुकान दक्षिण– 36'/प्रदीप का घर और मंदिर
3.	उधारकर्ता(ओं) के नामः 1) गजानन टिम्बर ट्रेडर्स (उधारकर्ता) 2) सुनील दत्त मिश्रा (सह–उधारकर्ता) 3) आकांक्षा मिश्रा (सह–उधारकर्ता) 4) लोकेंद्र दत्त मिश्रा (सह–उधारकर्ता और बंधककर्ता) **स्वीकृति तिथि :** 28/05/2023 और 29/07/2023 **ऋण खाता सं.: –** USFBLUCLOAN000005010234 और USFBLUCLOAN000005011284 **ऋण राशि :** रु. 40,79,242/– और रु. 11,10,471/– **एनपीए तिथि :** 04/05/2024 **मांग सूचना तिथि :** 16/05/2024 (18/05/2024 को प्रेषित) **मांग सूचना राशि :** रु. 42,92,140.86/– (16/05/2024 के अनुसार) तथा ब्याज एवं अन्य शुल्क	प्लॉट नंबर 21 के समस्त वह भाग तथा अंश जो खसरा नंबर 55 का हिस्सा है, क्षेत्रफल 2000 वर्ग फुट, जो ग्राम रायपुर, परगना, तहसील और जिला– लखनऊ में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : सीमायें (बंधक प्रलेख के अनुसार) उत्तर– प्लॉट नं. 22 दक्षिण– प्लॉट नं. 28 पूर्व– 20 फुट चौड़ी सड़क पश्चिम– दीगर की भूमि

यदि उधारकर्ता 60 (साठ) दिवसों की एकावधि के अंदर उपरोक्त देयराशियों का प्रतिभुगतान करने में विफल होते हैं तो अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों को प्रवर्तित करने को बाध्य होंगे। कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप यहां इसके साथ संदर्भित किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा लेन–देन अथवा हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। इस प्रावधान का कोयी भी उल्लंघन एक अपराध है तथा अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है।
मांग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है तथा उधारकर्ता(गण), यदि वे इच्छुक हैं, तो मांग सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता से किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालय समयावधि में प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान : उत्तर प्रदेश, दिनांक : 25–06–2024, **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057
कॉर्पोरेट कार्यालय : सेंट्रम हाउस, विद्यानगरी मार्ग, कलीना, सांताक्रुज (पू.), मुंबई – 400 098

मांग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के प्रावधानों के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ("बैंक") के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत तथा नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत, मांग सूचना(नायें) निर्गत की हैं, जिनमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) को संबंधित सूचना(ओं) में उल्लिखित राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया है। चूंकि डाकीय टिप्पणियों के अनुसार कोयी सूचना (कुछ सूचनायें) सूचना–प्राप्तकर्ताओं द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकी हैं, अतएव उक्त सूचना(नायें) सूचना वितरण–सेवा के वैकल्पिक माध्यम से समाचार–पत्रों में इनके प्रकाशन के माध्यम से उधारकर्ता(ओं) के ध्यान में लायी जा रही हैं।

क्र.सं.	ऋण खाता विवरण	प्रतिभूत परिसंपत्तियां
1.	उधारकर्ता(ओं) के नाम : 1) सुनील दत्त (उधारकर्ता) 2) प्रभा एम (सह–उधारकर्ता) स्वीकृति तिथि : 20/03/2023 ऋण खाता संख्या :– USFBDELLOAN000005008403 और USFBDELLOAN000005008423 ऋण राशि : रु. 19,48,378/– और रु. 1,01,977/– एनपीए तिथि : 03/04/2024 मांग सूचना तिथि : 18/05/2024 (22/05/2024 को प्रेषित) मांग सूचना राशि : रु. 21,81,570.00/– (18/05/2024 के अनुसार) तथा ब्याज एवं अन्य शुल्क	भूमि के समस्त वह भाग तथा अंश, (447 वर्ग गज, खेवट/खाता संख्या 1384/1503 मुस्ततिल 137 किला संख्या 18 (8–0), 19(8–0), 20(8–0), 23(8–0), 24(7–14), 25(0–7) में से बाहर 0 कनाल 15 मरला क्षेत्रफल वाली वह पूरी जमीन जो वाका मौजा, मोहना उप–तहसील मोहना, और जिला फरीदाबाद में स्थित है, श्रीमती प्रभा से संबंधित है और निम्न प्रकार से घिरा हुआ हैः– सीमाएँ (बंधक दस्तावेज़ के अनुसार) उत्तरः कृषि भूमि, दक्षिणः कृषि भूमि, पूर्वः 18 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः कृषि भूमि
2.	उधारकर्ता(ओं) के नाम : 1) लोकेश कुमार (उधारकर्ता) 2) रोहताश वी (सह–उधारकर्ता) 3) विजय सिंह (सह–उधारकर्ता और बंधककर्ता) 4) जलवती बी (सह–उधारकर्ता) स्वीकृति तिथि : 26/05/2023 ऋण खाता सं: – USFBDELLOAN000005009944 ऋण राशि : रु. 10,16,621/– एनपीए तिथि : 04/05/2024 मांग सूचना तिथि : 21/05/2024 (27/05/2024 को प्रेषित) मांग सूचना राशि : रु. 10,67,081.00/– (18/05/2024 के अनुसार) तथा ब्याज एवं अन्य शुल्क	अचल संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो वाका मौजा– लिखी उप तहसील हसनपुर, जिला पलवल, खेवट संख्या 1120/1214, मस्ट. संख्या 54, किला संख्या 22/43 (0–2), खसरा संख्या 524 (0–1) काइट 2, रकबा 1 कनाल 02, मरला 887/2970 भाग वाकदार क्षेत्र 6.57 मरला (198 वर्ग गज, विजय सिंह के स्वामित्व में/उन से संबंधित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : सीमायें (बंधक दस्तावेज के अनुसार) पूर्वः राजीव पुत्र तुलसीराम का प्लॉट, पश्चिमः सीमा पत्नी श्री धर्मपाल का प्लॉट, उत्तरः कॉमन रोड, दक्षिणः सरकारी गोदाम।
3.	उधारकर्ता(ओं) के नाम : 1) बाबर अली (उधारकर्ता) 2) नवाज अली (सह–उधारकर्ता और बंधककर्ता) 3) बदर अली (सह–उधारकर्ता) 4) प्रवीण । (सह–उधारकर्ता) स्वीकृति तिथि : 27/11/2022 ऋण खाता संख्या :– USFBDELLOAN000005005948 और USFBDELLOAN000005005943 ऋण राशि : रु. 20,24,059/– और रु. 2,03,254/– एनपीए तिथि : 04/05/2024 मांग सूचना तिथि : 21/05/2024 (27/05/2024 को प्रेषित) मांग सूचना राशि : रु. 22,45,162.00/– (18/05/2024 के अनुसार) तथा ब्याज एवं अन्य शुल्क	अचल संपत्ति के समस्त वह भा तथा अंश जो वाणिज्यिक हॉल क्षेत्र है, जिसका माप 132 वर्ग गज है, यानी 110.36 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 1369/2 मिनट से बाहर, गिरी मार्केट की आवासीय कॉलोनी में स्थित, गांवः लोनी, चकबंदी बहार, परगना और तहसील– लोनी, जिला– गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। और निम्नानुसार घिरा हुआ:– सीमाएँ (बंधक दस्तावेज़ के अनुसार): उत्तरः बदर अली की संपत्ति, दक्षिणः 35 फीट चौड़ी सड़क, पूर्वः अरशद अली की संपत्ति, पश्चिमः बदर अली की संपत्ति मापः 110.36 मीटर यानी 132 वर्ग गज

यदि उधारकर्ता 60 (साठ) दिवसों की एकावधि के अंदर उपरोक्त देयराशियों का प्रतिभुगतान करने में विफल होते हैं तो अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों को प्रवर्तित करने को बाध्य होंगे। कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप यहां इसके साथ संदर्भित किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा लेन–देन अथवा हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। इस प्रावधान का कोयी भी उल्लंघन एक अपराध है तथा अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है।
मांग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है तथा उधारकर्ता(गण), यदि वे इच्छुक हैं, तो मांग सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता से किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालय समयावधि में प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान : हरियाणा, दिनांक : 25–06–2024, **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

THE NEW INDIA ASSURANCE CO. LTD.
Regd. & Head Office
87, M.G. Road, Fort, Mumbai- 400 001
CIN Number: L66000MH1919GOI000526 IRDAI Registration Number: 190

This is with reference to our RFP No. [illegible]
The New India Assurance Co Ltd. wish to invite the eligible bidders for online bid for:

S.No.	Tender Name	Tender No.	Last date and Time of Submission
1	Request for Proposal (RFP) for Procurement of [illegible]	[illegible]	15-07-2024 5:00 PM
2	Request for Proposal for [illegible]	[illegible]	16-07-2024, 5:00 PM

The participating vendors have to quote through e-Procurement portal. URL is https://tenderwizard.com/NIAEPROC. **Tenders will be accepted through online mode only.** For further details, Addendum/ Corrigendum visit our website https://newindia.co.in

Chief Manager

सार्वजनिक सूचना

(दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड की धारा 102 के तहत, 2016)

मैसर्स श्रीओम वायर्स प्राइवेट लिमिटेड के निजी गारंटर श्री संजय गोयल के लेनदारों के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण

1.	**व्यक्तिगत गारंटर का नाम (पीजी)**	**श्री संजय गोयल**
2.	व्यक्तिगत गारंटर का पंजीकृत कार्यालय/प्रधान कार्यालय/निवास का पता	निवासी सी–44, मेन गली, सी ब्लॉक, वेस्ट ज्योति नगर, दिल्ली– 10094
3.	निर्णय प्राधिकारी के आदेश का विवरण	माननीय एनसीएलटी, पीठ– II, नई दिल्ली ने सीपी (आईबी) नंबर 453/एनडी/2023 में आईए नंबर 1018/2024 में आईबीसी, 2016 की धारा 100 के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की है, मैसर्स श्रीओम वायर्स प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर श्री संजय गोयल के मामले में
4.	दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने की तिथि	**11 जून, 2024** (आदेश 20 जून 2024 को अपलोड किया गया)
5.	समाधान प्रोफेशनल का नाम और पंजीकरण संख्या	**श्री अनुप कुमार** **पंजीकरण स.:** IBBI/IPA-002/IP-N00333/2017-18/10911
6.	समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीकृत है	चैंबर नंबर 734, लॉयर्स चैंबर ब्लॉक, वेस्टर्न विंग, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली– 110054 ईमेल: sachanlawanalyst@gmail.com
7.	समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार में उपयोग के लिए पता और ई–मेल	सी–708, आई–थम टॉवर–सी, प्लॉट नंबर ए–40, सैक्टर–62, नोएडा, यू.पी–201301 | संपर्क नंबर: 0120–6870711 ईमेल: rp.pgshreeomwires@sachanlawanalyst.com
8.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	**11 जुलाई 2024**
9.	प्रासंगिक प्रपत्र जिनमें दावा दायर किया जाना है	https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निर्णायक माननीय प्राधिकारी, एनसीएलटी, नई दिल्ली पीठ–II ने सीपी (आईबी) संख्या 453/2023 में धारा 100 के तहत **11 जून 2024** को **श्री संजय गोयल** की दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। (आदेश 20 जून 2024 को अपलोड किया गया)

श्री संजय गोयल के लेनदारों को भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटर के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियमन 7 (1) के तहत **"फॉर्म बी"** में **11 जुलाई 2024** को या उससे पहले प्रमाण के साथ समाधान प्रोफेशनल को प्रविष्टि संख्या 7 के सामने उल्लिखित पते पर अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

लेनदारों को इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से या कूरियर, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत पत्र के माध्यम से प्रमाण, दावों के विवरण और व्यक्तिगत जानकारी के साथ अपने दावे प्रस्तुत करने होंगे।

दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना किया जा सकता है।

श्री अनुप कुमार
समाधान प्रोफेशनल
श्री संजय गोयल
दिनांक : 24.06.2024
स्थान : दिल्ली
आईपी पंजीकरण स. : IBBI/IPA-002/IP-N00333/2017-18/10911
एएफए प्रमाणपत्र सं.: AA2/10911/02/130924/202857 | **वैधता :** 13 सितंबर 2024 तक

एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड

(सीआईएन यू65921 एमएच 1 995पीएलसी212675)
एक्सिस हाउस, सी–2, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई – 400 025

परिशिष्ट IV
नियम 8(I) देखें,
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति के लिए)
(परिशिष्ट IV के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित ।

जबकि,
नीचे हस्ताक्षरकर्ता, एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड (एएफएल) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 2 अप्रैल, 2024 को एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) (1) मैसर्स. यश मेटल्स, 5434 5503 5505, प्लॉट नंबर 15, बस्ती हरपूल सिंह, दिल्ली– 110006 और प्लॉट नंबर जी–2 (प्लॉट नंबर 2, ब्लॉक–जी) द्वितीय तल, प्रीत नगर, सीएचबीएस लिमिटेड कॉलोनी, प्रीत विहार, दिल्ली– 110092 (2) यश गर्ग प्लॉट नंबर जी–2 (प्लॉट नंबर 2, ब्लॉक–जी) दूसरी मंजिल, प्रीत नगर, सीएचबीएस लिमिटेड कॉलोनी, प्रीत विहार, दिल्ली– 110092, (3) श्रीमती रजनी गर्ग प्लॉट नंबर जी–2 (प्लॉट नंबर 2, ब्लॉक–जी) दूसरी मंजिल, प्रीत नगर, सीएचबीएस लिमिटेड कॉलोनी, प्रीत विहार, दिल्ली– 110092 को नोटिस में उल्लिखित राशि रूप्ये 21992170 /– (दो करोड़ उन्नीस लाख बानबे हजार एक सौ सत्तर रुपये मात्र) को चुकाने के लिए और उसके बाद की अचल संपत्ति को गिरवी रख दिया है, जो 5 मार्च, 2024 को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान की तारीख तक अनुबंध दर पर आगे ब्याज के साथ देय है।

ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता द्वारा राशि वापस करने में असफल रहने के कारण, ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम एन 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते की 19 जून 2024 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जिसकी राशि 2,1992,170/– रुपये (दो करोड़ उन्नीस लाख बानबे हजार एक सौ सत्तर मात्र) है, जो 5 मार्च, 2024 तक देय है और उस पर संविदात्मक दरों पर अतिरिक्त ब्याज भी लगेगा, जिसमें एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड की लागतें, शुल्क आदि शामिल हैं, जब तक कि पूरा भुगतान या पूरी वसूली नहीं हो जाती।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) और उपधारा (13) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति विवरण – प्लॉट नंबर जी–2 (प्लॉट नंबर 2, ब्लॉक–जी), दूसरी मंजिल, प्रीत नगर, सीएचबीएस लिमिटेड कॉलोनी, प्रीत विहार, दिल्ली– 110092 प्लॉट की सीमा इस प्रकार है:
पूर्व – 150 फुट चौड़ी सड़क
पश्चिम – 15 फुट चौड़ी गली
उत्तर – प्लॉट नंबर 3.
दक्षिण – प्लॉट नंबर 1.

दिनांकः 24/06/2024 अधिकृत अधिकारी
स्थानः दिल्ली एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड

एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड

(सीआईएन यू65921 एमएच 1 995पीएलसी212675)
एक्सिस हाउस, सी–2, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर,
पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई – 400 025

परिशिष्ट IV
नियम 8(I) देखें|
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति के लिए)
(परिशिष्ट IV के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित ।

जबकि,
जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड (एएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 2 अप्रैल, 2024 को एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) (1) श्री मोहम्मद राशिद को हाउस नंबर, 47318, गली नंबर 21, जाफराबाद, उत्तर पूर्वी दिल्ली– 110053 और संपत्ति संख्या 441/3, खसरा संख्या 3512 में से, गाँव मौजपुर, मेन रोड की आबादी, विजय पार्क, मौजपुर इलाका–शंदारा, उत्तर पूर्वी दिल्ली– 110053, (2) इनिशिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, टी– 18 और 19, पंकज सेंट्रल मार्केट, आईपी एक्सटेंशन, परपतगंज, दिल्ली, पूर्व में दिल्ली– 110092 से अनुरोध (3) श्रीमती शाहना, 473 बी/21, जाफराबाद, गढ़ी मेंडू, उत्तर पूर्वी दिल्ली– 110053 में जिन्होंने नोटिस में उल्लिखित राशि रूप्ये 18245134/– (रुपये एक करोड़ बेयासी लाख पैंतालीस हजार एक सौ चौंतीस मात्र) को चुकाने के लिए और उसके बाद की अचल संपत्ति को गिरवी रख दिया है, जो 5 मार्च, 2024 को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान की तारीख तक अनुबंध दर पर आगे ब्याज के साथ देय है।

ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता द्वारा राशि वापस करने में असफल रहने के कारण, ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते की 19 जून 2024 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जिसकी राशि रूप्ये 18245134/– (रुपये एक करोड़ बेयासी लाख पैंतालीस हजार एक सौ चौंतीस मात्र) है, जो 5 मार्च, 2024 तक देय है और उस पर संविदात्मक दरों पर अतिरिक्त ब्याज भी लगेगा, जिसमें एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड की लागतें, शुल्क आदि शामिल हैं, जब तक कि पूरा भुगतान या पूरी वसूली नहीं हो जाती।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) और उपधारा (13) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति विवरण – संपत्ति संख्या 441/3, खसरा संख्या 35/2,150 में बाहर से गांव मौजपुर, मेन रोड की आबादी, विजय पार्क, मौजपुर इलाका– शंदारा, उत्तर पूर्वी दिल्ली– 1100531 निम्नलिखित से घिरा हुआ है:
पूर्व – मेन रोड
पश्चिम – गली 15 फुट चौड़ी।
उत्तर – दूसरों की संपत्ति।
दक्षिण – दूसरों की संपत्ति।

दिनांकः 24/06/2024 अधिकृत अधिकारी
स्थानः दिल्ली एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड

दि इंडिया थर्मिट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN: U74999DL1951PLC161818
पं./का.: यूनिट नं. 212, 2 रा तल, वर्ल्डमार्क 2, एयरोसिटी, नई दिल्ली–110037
ईमेल: cs@indiathermit.com, टेलीफोन नं. 011-46026179, 0512-2985161

सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 201 (2) के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा कम्पनी अर्थात् दि इंडिया थर्मिट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (U74999DL1951PLC161818) के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी उसकी अनुसूची V के साथ पठित अधिनियम की धारा 196,197,203 तथा अन्य लागू होने वाले धाराओं का अनुसरण करते हुए कम्पनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में श्री अंकित नागोरी, जो यूएस के नागरिक हैं, (DIN: 03494326) की 01 सितम्बर, 2024 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिये उनकी पुनर्नियुक्ति तथा संबंधित नियमों एवं शर्तों की स्वीकृति के लिये केन्द्र सरकार (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय) के पास आवेदन करने जा रही है।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते, दि इंडिया थर्मिट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
हस्ता./–
तिथि : 24.6.2024 दिवाकर दूबे
स्थान : दिल्ली कम्पनी सचिव

YES BANK

पंजीकृत कार्यालयः यस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे,बैंक सांताक्रूज़ ईस्ट, मुंबई–400055,
शाखा कार्यालयः प्लॉट 1/9, दूसरी मंजिल, पश्चिमी पटेल नगर, दिल्ली–110008
वेबसाइटः **www.yesbank.in,**

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना,

एतदद्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) एवं गारंटर (रों) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका भौतिक कब्ज़ा यस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी यानी सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा ले लिया गया है जिसको (1) मेसर्स वर्ल्ड स्टार (उधारकर्ता) (2) मीनू अग्रवाल (गारंटर/बंधककर्ता) (3) रविंदर अग्रवाल (गारंटर) से सुरक्षित लेनदार को देय दिनांक 13.09.2023 तक देय रु.56,06,353.88/–(रु. छप्पन लाख छह हजार तीन सौ तिरपन और अट्ठासी पैसे मात्र) सुरक्षित ऋणदाता को देय, अनुबंधित दर पर अतिरिक्त ब्याज और शुल्क के अधीन की वसूली हेतु दिनांक 31 जुलाई, 2024 को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है", और "जो कुछ भी है" पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य रु.67,56,590/– (रु. सड़सठ लाख छप्पन हजार पांच सौ नब्बे मात्र) होगा और बयाना राशि रु.6,75,659/– (रु. छह लाख पचहत्तर हजार छह सौ उनसठ मात्र) होगी।

संपत्ति का विवरण

राम नगर, कृष्णा नगर, गांव खुरेजी खास के क्षेत्र में, इलाका शाहदरा, दिल्ली–110051 में स्थित निर्मित संपत्ति संख्या 285 का संपूर्ण प्रथम तल भाग, जिसका क्षेत्रफल 105 वर्ग गज यानी 87.79 वर्ग मीटर है।
सीमाएं–पूर्वः संपत्ति संख्या 286, पश्चिमः संपत्ति संख्या 284, दक्षिणः सड़क, उत्तरः कृष्णा नगर की भूमि।
ई–नीलामी की तारीख और समयः 31 जुलाई, 2024 को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रत्येक 5 मिनट के विस्तार के साथ।
बोली जमा करने की अंतिम तिथिः 29 जुलाई, 2024 को अपराह्न 3.00 बजे तक
संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समयः 09 जुलाई, 2024 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए,कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट **www.yesbank.in** पर दिए गए लिंक **http://10.0.49.5/about-us/media/auction-property--**को देखें।
निविदा दस्तावेज/ई–बोली सूची प्राप्त करने या अचल संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों के निरीक्षण में किसी भी कठिनाई के मामले में और प्रश्नों के लिए, कृपया यस बैंक लिमिटेड के संबंधित अधिकारियों, श्री कमल अरोड़ा +919560524443 या ई–मेलः **kamal.arora@yesbank-in** और मेसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (नीलामी टाइगर) अहमदाबाद के अधिकारी, वेब पोर्टल पता **https://sarfaesi.auctiontiger.net]cksyhnkrk** सहायता नंबरः+91 9265562821/18 और 9978591888, 079–68136880/68136837, ई–मेलः **support@auctiontiger.net** और **ramprasad@auctiontiger.net**, संपर्क व्यक्तिः श्री राम शर्मा –9978591888 पर भी संपर्क करें।
अधिनियम की धारा 13(8) के अपेक्षित अनुसार, यदि हमारे द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ हमारी कुल बकाया राशि को बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय प्रस्तुत की जाती है, तो सुरक्षित संपत्ति हमारे द्वारा बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएगी, और उस सुरक्षित संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए हमारे द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

उधारकर्ता/गारंटरों को बिक्री सूचना

उपरोक्त को दायित्वधारियों के लिए उक्त राशि के भुगतान करने हेतु प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 8(6) के साथ पठित धारा 9(1) के तहत प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर नोटिस के रूप में माना जाएगा।

दिनांकः 24.06.2024, स्थानः दिल्ली/एनसीआर **हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी**

आईसीआरए लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): L74999DL1991PLC042749
पंजीकृत कार्यालयः बी–710, स्टेट्समैन हाउस, 148, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001, **टेलीफोन नं.:** +91-11-23357940
वेबसाइटः www.icra.in **ई–मेल आईडीः** investors@icraindia.com

तैंतीसवीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और लाभांश के संबंध में सूचना

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (**''अधिनियम''**) के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (**''सूचीयन विनियम''**) के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (**''एमसीए''**) परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 13 जनवरी, 2021, 8 दिसम्बर, 2021, 14 दिसम्बर, 2021, 5 मई, 2022, 28 दिसम्बर, 2022 एवं 25 सितम्बर, 2023 (संयुक्त रूप से ''एमसीए परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**''सेबी''**) परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021 एवं 13 मई, 2022 (संयुक्त रूप से **''सेबी परिपत्र''** के रूप में संदर्भित) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (''सेबी'') परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021, 13 मई, 2022 एवं 5 जनवरी, 2023 (संयुक्त रूप से ''सेबी परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में एजीएम के आयोजन की सूचना (**''एजीएम सूचना''**) में निहित व्यवसाय के निष्पादन के लिए आईसीआरए लिमिटेड (**''कम्पनी''**) के सदस्यों की तैंतीसवीं वार्षिक आम बैठक (**''एजीएम''**) मंगलवार, 23 जुलाई, 2024 को अप. 3.00 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (**''वीसी''**)/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों (**''ओएवीएम''**) के द्वारा आयोजित की जाएगी।
2. एमसीए परिपत्रों और 'सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2023–24 के साथ एजीएम सूचना उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दी जाएगी जिनके ई–मेल पते नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (**''एनएसडीएल''**) और सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (''एक साथ **''डिपॉजिटरीज''** के रूप में संदर्भित) या कम्पनी या लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (**''आरटीए''**) के पास पंजीकृत हैं। सदस्यगण पया नोट करें कि एजीएम सूचना और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.icra.in के साथ ही बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट (www.nseindia.com), जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध है, पर भी उपलब्ध होगी। एजीएम सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी प्रकाशित की जाएगी। कंपनी अनुरोध करने पर एजीएम सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2023–24 की भौतिक प्रतियां भी उपलब्ध कराएगी।
3. **ई–मेल पता पंजीकरण/अपडेट करने की प्रक्रियाः**
   भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने कम्पनी या आरटीए के पास अपना ई–मेल पता पंजीत/अपडेट नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे लिंक https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html पर क्लिक करके इसे अपडेट (परिवर्तन के मामले में)/पंजीत कराएं।
   इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना ई–मेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे जितना जल्दी हो अपने डिमेट खाते का रखरखाव करने वाले डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास इसे पंजीकृत/अपडेट कराएं।
4. **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (''ई–वोटिंग'') के माध्यम से वोट देने की प्रक्रियाः**
   कम्पनी एजीएम सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से देने के लिए सदस्यों को ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करेगी। ई–वोटिंग सुविधा लिंक www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध होगी।
   इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों द्वारा रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम की तिथि को ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने की प्रक्रिया एजीएम सूचना में दी गई है। सदस्यगण जिन्होंने अपना ई–मेल पता कम्पनी या आरटीए या डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत नहीं कराया है, उनके द्वारा लॉगइन क्रेडेंशियल्स प्राप्त करने की प्रक्रिया भी एजीएम सूचना में दी गई है।
   केवल वह सदस्यगण जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं दिया है, या जिन्हें ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, केवल वे ही एजीएम में ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट देने के योग्य होंगे।
   सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे दिया है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं। तथापि, वह एजीएम में वोट देने के लिए योग्य नहीं होंगे।
   किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड सैक्शन पर सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई–वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या फोन नं. 022 – 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी महात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल के पास evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं ।
5. **बुक क्लोजर एवं लाभांश**
   एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 91 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सूचीयन विनियम के विनियम 42 के अनुसरण में कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण पुस्तिका, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के इक्विटी शेयरों पर घोषित लाभांश, यदि कोई हो, को प्राप्त करने हेतु योग्य सदस्यों के नामों के निर्धारण के लिए शनिवार, 20 जुलाई, 2024 से सोमवार, 22 जुलाई 2024 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेगी। यदि एजीएम में सदस्यगण लाभांश के भुगतान को अनुमोदित कर देते हैं तो लाभांश उन सभी सदस्यों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम शुक्रवार, 19 जुलाई 2024 को सदस्यों के रजिस्टर में और उन सभी सदस्यों को जिनके नाम उस तिथि तक व्यवसाय घंटो की समाप्ति पर डिपॉजिटरीज द्वारा प्रस्तुत किये गये लाभार्थी स्वामियों की सूची में शामिल होंगे।
   निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंकित मूल्य रु. 10/– प्रत्येक के रु. 100/– प्रति इक्विटी शेयर लाभांश की सिफारिश की है। निदेशक मंडल द्वारा सिफारिश किया गया लाभांश, यदि एजीएम में घोषित हो जाता है तो सोमवार, 19 अगस्त, 2024 तक भुगतान किया जाएगा/लाभांश वारंट भेजा जाएगा।
   लाभांश का भुगतान लागू दरों पर स्रोत पर कर कटौती (**''टीडीएस''**) के अधीन होगा। अधिक जानकारी के लिए एजीएम सूचना में दिये गये नोट्स एवं इस संबंध मे कंपनी द्वारा भेजा गया पत्राचार का अवलोकन करें।
6. **लाभांश प्राप्त करने के लिए मैंडेट पंजीकरण कराने की प्रक्रियाः**
   सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में धारित शेयरों के लिए) के पास या आरटीए (भौतिक प्रारूप में धारित शेयरों के लिए) के पास अपना बैंक खाता विवरण अपडेट कराएं।
7. **सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिये गये सभी नोट्स और विशेषकर एजीएम में शामिल होने के लिए निर्देश, रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने की प्रक्रिया को भली–भांति पढ़ लें।**

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते आईसीआरए लिमिटेड
स्थान : गुरुग्राम (एस. शाकिब रहमान)
तिथि : 24 जून, 2024 कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी